भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 1907
जिसका उत्तर 09.12.2021 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों पर दुर्घटनाएं

1907. श्री रवनीत सिंह:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
कुमारी राम्या हरिदास:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार/एनएचएआई द्वारा आज की तारीख तक देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिह्नित ब्लैक स्पॉटों की संख्या/प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर अधिकांश दुर्घटनाएं इन्हीं 'ब्लैक स्पॉट' पर होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'ब्लैक स्पॉट' क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा इसके कारण देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इन 'ब्लैक स्पॉट' को ठीक करने के लिए कोई उपाय किए है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएचएआई द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/निर्गत और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों की पहचान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्राधिकरण (आरएसए) की पहचान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में यह किस हद तक सफल हुआ है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2016 से 2018 की अवधि के दौरान डेटा पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहचाने गए ब्लैक स्पॉट की कुल संख्या 5803 है। ब्लैक स्पॉट की संख्या और राष्ट्रीय राजमार्गों (राज्य-वार) पर ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की कुल संख्या की जानकारी अनुबंध-I में दी गई है।

(घ) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की), प्रवर्तन और आपात देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) **<u>शिक्षा</u>:**

(क) मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एनजीओ आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर प्रचार उपाय करने और जागरूकता अभियान चलाने की एक योजना कार्यान्वित की है।

(ख) जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना/सप्ताह मनाया जाता है।

(ग) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) में सड़क सुरक्षा ऑडिटर्स के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
(घ) आम लोगों को यातायात के नियमों और उनकी अनुप्रयोज्यता की शिक्षा।

(ii) **इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की)**

सड़क इंजीनियरिंग

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थानों) की पहचान और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
(ख) सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।
(ग) मंत्रालय ने पहचान किए गए सड़क दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट्स का सुधार करने के लिए विस्तृत प्राक्कलनों में तकनीकी स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकार सौंपे हैं।
(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांगजनों के पैदल चलने की सुविधा के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

वाहन इंजीनियरिंग:

(क) एयरबैग**,** एंटी-ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस***),*** टायर**,** क्रैश टेस्ट**,** होल व्हीकल सेफ्टी कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन (डब्ल्यूवीएससीओपी) के संबंध में ऑटोमोबाइल के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया है।
(ख) मंत्रालय ने सभी परिवहन वाहनों में गति सीमा उपकरण लगाने को अधिसूचित किया है।
(ग) स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

(iii) **<u>प्रवर्तन</u>**

(क) हाल ही में पारित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम**, 2019** में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन और इसके अलावा, सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
(ख) मोटर यान (संशोधन) अधिनियम**, 2019** के अनुसार गुड समरिटन्स की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश और मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं।

(iv) <u>आपात देखभाल</u>:

(क) मोटर यान (संशोधन) अधिनियम**, 2019** में दुर्घटना पीड़ितों का गोल्डन आवर के दौरान नकदी रहित उपचार करने की एक योजना का प्रावधान किया गया है।
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण किए गए गलियारे के टोल प्लाजाओं पर एम्बुलेंस तैनात करने की व्यवस्था की हैं।
(ग) इसके अलावा, उपर्युक्त में से 297 एम्बुलेंसों को एआईएस-125 के अनुसार बेसिक लाइफ सपोर्ट के रूप में उन्नत किया गया है और शेष का उन्नयन प्रक्रियाधीन है।

(ड़) मंत्रालय के पास इस प्रयोजन के लिए कोई अलग से कोष नहीं है। तथापि**,** इस मंत्रालय को कुल आवंटित निधि से जो भी सुधार/उन्नयन अपेक्षित हैं**,** उन्हें पूरा किया जाता है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार और अधिसूचित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट को ईपीसी/बीओटी मोड पर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का अभिन्न अंग बना दिया गया है। मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/इंजीनियरिंग डिजाइन के स्तर पर 5 किमी या उससे अधिक की लंबाई वाली सभी नई सड़क परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य बनाता है।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों पर दुर्घटनाएं के संबंध में दिनांक 09.12.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 1907 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ब्लैक स्पॉटों की राज्यवार संख्या.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)पर 5 सड़क दुर्घटनाओं या 10 लोगों की मौत के साथ ब्लैक स्पॉटों की कुल संख्या	एनएच पर दुर्घटनाओं की सं.			एनएच पर मौतों की सं.		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	आंध्र प्रदेश	466	1969	1826	1529	1079	1093	931
2	अरुणाचल प्रदेश	5	23	41	30	7	9	12
3	चंडीगढ़	6	19	13	16	15	14	14
4	गोवा	29	70	98	53	49	66	34
5	गुजरात	250	998	1107	950	703	708	686
6	हरियाणा	23	89	88	137	86	93	123
7	हिमाचल प्रदेश	116	422	367	240	173	158	104
8	मणिपुर	5	19	15	10	2	3	2
9	मेघालय	1	7	एनआर	एनआर	1	एनआर	एनआर
10	मध्य प्रदेश	303	1894	826	733	806	515	383
11	नगालैंड	17	123	58	51	4	0	1
12	पंजाब	296	887	865	775	665	666	573

13	राजस्थान	349	1634	1682	1392	946	963	804
14	तमिलनाडु	748	5755	5752	5071	2074	2096	1796
15	उत्तराखंड	54	92	159	143	79	162	192
16	पश्चिम बंगाल	701	2237	2137	1879	1239	1201	1052
17	बिहार	64	229	226	196	224	177	187
18	दिल्ली	113	853	872	828	229	269	254
19	कर्नाटक	551	2844	2545	2380	1207	1127	1005
20	जम्मू और कश्मीर	64	261	242	297	84	81	80
21	महाराष्ट्र	25	79	52	27	60	45	21
22	तेलंगाना	485	2051	1757	1855	851	758	784
23	त्रिपुरा	8	36	25	31	14	13	10
24	झारखंड	58	171	124	112	132	95	83
25	छत्तीसगढ	142	470	395	326	297	285	210
26	मिजोरम	2	4	5	6	5	5	7
27	केरल	243	2055	2265	2248	245	278	246
28	असम	95	346	377	414	273	278	278
29	उड़ीसा	169	735	750	685	408	363	357
30	यूपी	405	2226	2225	2504	1774	1840	1814
31	सिक्किम	10	28	35	22	3	7	4
कुल		5803	28626	26929	24940	13734	13368	12047

*****